संख्या- 8/2015/290/60-2-15-2/3(3)/12

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 23 फरवरी, 2015

विषय – अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में आई0सी0डी0एस0 परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोषाहार के अन्तर्गत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-1248/बा0वि0परि0/लेखा/2014-15, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के संदर्भ में अवगत कराना है कि अनुदान संख्या-83 के अधीन लक्षित महिलाओं एवं बच्चों को पुष्टाहार व्यवस्था हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 9,80,00,00 हजार (रूपये नौ अरब अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1104/60-2-14-2/3(3)/12, दिनांक 03.06.14 द्वारा रूपये 2,45,00,00 हजार (रूपये दो अरब पैंतालिस करोड़ मात्र), संख्या-2155/60-2-14-2/3(3)/12, दिनांक 09.10.2014 द्वारा रूपये 2,45,00,00 हजार (रूपये दो अरब पैंतालिस करोड़ मात्र) तथा शासनादेश संख्या-2935/60-2-14-2/3(3)/12, दिनांक 02.01.2015 द्वारा रूपये 2,45,00,00 हजार (रूपये दो अरब पैंतालिस करोड़ मात्र) की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0 परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोषाहार के लिए वित्तीय वर्ष् 2014-15 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 9,80,00,00 हजार (रूपये नौ अरब अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष के सापेक्ष अवशेष रूपये 2,45,00,00 हजार (रूपये दो अरब पैंतालिस करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर भारत सरकार/शासन को समय-समय पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा अपेक्षित केन्द्रांश की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके प्रत्येक माह की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने पर किया जायेगा।

(5) यह धनराशि प्राप्त परिव्यय की सीमा में ही समाहित होगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय की फेजिंग कर ली जाय और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर ही एस0सी0एस0पी0 की गाइड लाइन के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाये।

(7) स्वीक़त की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है इससे इतर धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

(8) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0101-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के.50/रा.50 के.+ रा.)-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-290(1)/60-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. अपर निदेशक (वित्त) बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (बजट)अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1।
5. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधा शुक्ला)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।